न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 25 / 2021

बलबीर पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
–अपीलार्थी

–बनाम–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पालोता प्रेम गजराज, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2. तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3. नायब तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
4. नायब तहसीलदार सिंघाना जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ अवैध आदेश तहसीलदार बुहाना
दिनांक 8.3.2021 आदेश क्रमांक राजस्व / 2021 / 305 / 312

उपस्थितिः–

1 श्री श्री विनोद गिल, एडवोकेट –––– –––– –––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––रेस्पोडेन्टस्की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 19.5.2022

उक्त अपील विरूद्ध तहसीलदार बुहाना आदेश क्रमांक राजस्व / 2021 / 305 / 312 दिनांक 8.3.2021 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.2.2021 को ग्राम वासीयान व पंचायत समिति सदस्य ने उपख्ण्ड अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र पालोता से मैनाना जाने वाले रास्ते को खुलवाने बाबत पेश किया जिसमें ग्राम पंचायत प्रस्तावों का उल्लेख किया तथा रास्ता खुलवाने का निवेदन किया जिसपर उपखण्ड अधिकारी बुहान ने दिनांक 11.2.2021 को तहसीलदार को पत्र लिखा कि उपरोक्त प्रकरण में जांच करने व नियामानुसार कार्यवाही करें जिसके आधार पर दिनांक 11.2.2021 को पत्र प्रेषित कर दिये जिनमें अंकित किया कि तथ्यात्मक विशलेषण किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करें जिस पर तहसीलदार बुहाना ने दिनांक 8.3.2021 को रास्ता खुलवाने का अवैध आदेश पारित कर दिया। ग्राम पंचायत को काश्त की भूमि में रास्ता खुलवाने का प्रस्ताव लेने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने राजनैतिक द्वेषता की वजह से उक्त प्रस्ताव लिये जिनके आधार पर तहसीलदार ने भी भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनू

अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का सांवलोद को गलत पत्र प्रेषित कर दिये। दिनांक 8.3.2021 को तहसीलदार बुहाना ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपनी मर्जी से अपने आफिस में बैठकर आदेश क्रमांक राजस्व /2021/305–312/ टाईप कर अपने हस्ताक्षर कर रास्ता खोलने का आदेश कर दिया। भूमि की किस्म खातेदारी की भूमि है। तहसीलदार बुहाना ने अपनी मनमर्जी से आदेश देकर अपीलार्थी के कब्जे व अधिकार की भूमि में जबरन रास्ता कायम करवा दिया। तहसीलदार को काश्त की भूमि में रास्ता कायम करने का अधिकार नही है।

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बुहाना का आदेश क्रमांक 8.3.2021 राजस्व/2021/305–312 को तथा मौका फर्द दिनांक 16.3.2021 को निरस्त किया जावे । पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि पत्रावली पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने अपीलांट की खातेदारी भूमि में से सरपंच ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही करते हुये अपीलांट को सुनवाई का बिना अवसर प्रदान किये आदेश क्रमांक राजस्व/2021/305–312 दिनांक 8.3.2021 द्वारा अवैध रूप रास्ता जबरन कायम कर दिया। तहसीलदार को खातेदारी भूमि रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बुहाना का आदेश क्रमांक 8.3.2021 राजस्व/2021/305–312 को तथा मौका फर्द दिनांक 16.3.2021 को निरस्त किया जावे । पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि पत्रावली पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के आदेश राजस्व/2022/305–312 दिनांक 8.3.2021 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का [illegible] है [illegible] विवादित भूमि उसकी खातेदारी भूमि है। खातेदारी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर रास्ता खुलवाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा उनको बिना नोटिस जारी किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त आदेश दिनांक 8.3.2021 पारित किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त विवादित रास्ते के संबंध में ग्राम पंचायत सांवलोद द्वारा उपखण्ड अधिकारी बुहाना को प्रचलित रास्ते को खुलवाने हेतु निवेदन किया गया है जिसपर उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा तहसीलदार बुहाना को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया है,लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि तहसीलदार बुहाना द्वारा ना तो प्रकरण दर्ज किया गया है और ना अपीलांट का पक्ष सुनवाई हेतु अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया गया है। तहसीलदार बुहाना द्वारा सीधे ही उपअधीक्षक पुलिस एवं भू0अभिलेख निरीक्षक आदि को लिखा गया है, ना तहसीलदार द्वारा मौका देखे जाने का उल्लेख है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बुहाना का आदेश दिनांक 8.3.2021 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश राजस्व/2022/305–312 दिनांक 8.3.2021 व मौका फर्द दिनांक 16.3.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण दर्ज कर विवादित रास्ते के संबंध में स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

19.5.2022

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू